

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/वीआरएसएस/ई.फा 179/2023/


दिनांक:-

आदेश

श्रीमती इन्द्रा शर्मा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जटवाडा जयपुर जिनकी जन्मतिथि 15.05.1965 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 20.05.1994 है, को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 15.03.2023 को राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। इनका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिवस अकार्य दिवस माना जावेगा।

इनके विरुद्ध:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ


राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/वीआरएसएस/ई.फा 179/2023/224

दिनांक:- 13/3/2023

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को उनके पत्र क्रमांक 1210 दिनांक 09.11.2022 के क्रम में
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्सी जयपुर ।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जटवाडा, जयपुर ।
6. प्रशासनिक अधिकारी डी.पी.सी अनुभाग(अराजपत्रित) मुख्यालय ।
7. प्रशासनिक अधिकारी टी.सी अनुभाग(अराजपत्रित) मुख्यालय ।
8. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
10. आदेश/निजी पत्रावली।


निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर